राजस्व प्रार्थना पत्र 31/2020

राजेन्द्र गिला बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 31/2020

प्रार्थी – राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनराम जाति–जाट निवासी छापड़ा
तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थी – सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति –

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थीया की ओर से।
2. राजपैरोकार उपस्थित।

दिनांक : 09/03/2021

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम छापड़ा तहसील जायल में खाता संख्या 1100 खसरा नं. 1541/618 रकबा 4.8562 हैक्टेयर के रूप में आई हुइ। जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र सोहनराम उर्फ सोहनलाल दर्ज है, जबकि वास्तविक नाम राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनराम है। उक्त नाम का एक ही व्यक्ति के ही है। उक्त नाम सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते एवं नई जमाबंदी चौसाला बनाते समय राजस्व कर्मियों से सहवन से भूलवशः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इतने दिनों तक प्रार्थी को इन विभिन्न नामो से कोई परेशानी नहीं हुई ना ही सरकारी योजना का लाभ प्राप्त किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अब किसान क्रेडिट कार्ड बैंक खाता तथा अन्य सरकारी ऑनलाईन काम होने से तथा कम्प्यूटर में नाम का मिलान नहीं होने

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस नाम को दुरस्त किये जाने से किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई हक प्रभावित नहीं होगा तथा प्रार्थी को अपने काम में सुविधा हो जायेगी। अतः अतः प्रार्थी का नाम ग्राम छापड़ा तहसील जायल के खाता संख्या 1100 में वर्णित खसरान में कृषक खातेदार का नाम राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनलाल उर्फ सोहनलाल के स्थान पर कृषक खातेदार की जगह राजेन्द गिला पुत्र सोहनराम शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार जायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिन्होने जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/2213 दिनांक 13.08.2020 के रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजेन्द्र पुत्र सोहनराम उर्फ सोहनलाल के स्थान राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनराम शुद्ध किये जाने मे सहमति व्यक्त की। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट की सम्पुष्टि के परिपेक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1100/1027, आधारकार्ड संख्या 8785 1942 3465, की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति पेश की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थीया की सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा ग्राम छापड़ा पटवार हल्का छापड़ा तहसील जायल के खाता संख्या 1100 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र सोहनराम उर्फ सोहनलाल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् ग्राम छापड़ा पटवार हल्का छापड़ा तहसील जायल की नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1100/1027 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र सोहनराम उर्फ सोहनलाल जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील जायल दर्ज है जिसके स्थान पर राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी–छापड़ा तहसील जायल शुद्ध किये जाने में तहसीलदार (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1100/1027, आधारकार्ड संख्या 8785

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

1942 3465, की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति से प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र गिला पुत्र सोहन राम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की अभिशंषा रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टयां यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनलाल उर्फ सोहन राम एक ही व्यक्ति के नाम है जिसमें से प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनराम निवासी छापड़ा तहसील जायल ही है।

अतः प्रार्थी का नाम ग्राम छापड़ा तहसील जायल की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1100/1027 में दर्ज खातेदार का नाम राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी–छापड़ा तहसील जायल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम छापड़ा पटवार तहसील जायल के खाता संख्या 1100/1027 में दर्ज खातेदार कृषक राजेन्द्र पुत्र सोहनराम उर्फ सोहनलाल तहसील जायल के स्थान पर राजेन्द्र गिला पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील जायल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 09/03/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

09/03/2024
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner